P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार

हरपाल सिंह
प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,
लूला अहीर, रेवाड़ी (हरियाणा)
भारत

सारांश

चुनाव भारतीय लोकतंत्र का महाकुंभ है, मतदान की महत्त्वपूर्ण शक्ति इस देश के निर्धन, बेबस, कमजोर और वंचित वर्ग के हाथों में है। दुनिया की सर्वाधिक सहभागिता वाले लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के आम चुनावों पर पूरे विश्व की निगाहें रहती है। यद्यपि यहाँ की लोकतांत्रिक प्रकिया में निर्वाचित होने के लिए पढ़ा–लिखा होना तो दूर की बात है, साक्षर होना भी जरूरी नहीं है। बावजूद इसके भारतीय मतदाताओं ने अपनी मतदान शक्ति से यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे न तो मूर्ख बनाया जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है, वे अपने लोकतांकि ढाँचे की रक्षा के लिए सतत् चौकस हैं।

चुनाव सुधारों के बारे में पहले भी बहुत सी समितियाँ और आयोगों ने सिफारिशें की हैं। हालांकि उनका क्रियान्वयन बहुत कम हुआ है, जो निराशाजनक है। बुद्धिजीवियों, चिंतकों, विचारकों और अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों में इन विषयों पर चर्चा के पश्चात् सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सभी समस्याओं, जैसे–राजनीति का अपराधीकरण, काले धन पर आश्रित होना, जाति और धर्म पर आधारित राजनीति आदि की जड़ भारतीय चुनाव व्यवस्था ही है, जो मूलतः विभाजनकारी है और जहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों में से अधिकांश के पास प्रतिनिधित्व करने की वैधता नहीं होती। वास्तव में चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए, आम सहमति बनाने के लिए इसके सभी सहभागियों, चाहे ये राजनीतिक पार्टियाँ हो, राजनीतिक कुलीन वर्ग हो, देश की कानूनी और औपचारिक संस्थाएँ हों, सिविल सोसाइटी हो और इन सब में सबसे अहम नागरिक हों, सबको नए उत्साह के साथ आगे बढना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सबको संघर्ष करना होगा। एक निश्चित अंतराल पर, निश्चित विधि द्वारा निर्वाचन होते रहने से लोकतंत्र उत्तरोतर अधिक परिपक्व होता है। एक मतदाता से प्रारंभ होकर अंततः लोक इच्छा के तौर पर संपन्न निर्वाचन द्वारा स्थापित सरकार राज्य अथवा राष्ट्र पर शासन करने के लिए विधानतः अधिकृत होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलमंत्र यही है कि स्वतंत्र चर्चा हो और विभिन्न मतों में टकराव, सभी पक्षों द्वारा आपसी बातचीत और वाद–विवाद के बाद देश हित में ही उचित निर्णय लिए जाएँ।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, चुनाव आयोग, संसदीय व्यवस्था, चुनाव सुधार, मतदान, लोकमत, राजनीतिक दल

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। किसी भी सफल, स्वस्थ, एवं सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली विशेष महत्त्व रखती है। जिस देश की बुनियाद गणतंत्रात्मक मूल्यों–आदेशों पर रखी गई हो वहां चुनावों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। भारत में लोकतंत्र का आधार चुनाव ही है, जो विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर सम्पन्न होते हैं। जब भारत की चुनावी व्यवस्था स्वाभाविक, पारदर्शी एवं निष्पक्ष होगी तो सही और उन्हीं व्यक्तियों का चयन होगा जो असल में जनता का प्रतिनिधित्व करते हों। क्योंकि जनता के हाथ में एक यही ऐसा हथियार है जिससे वह अपने रूझान और अपनी भावना को प्रकट करती है।

अनेक विविधताओं वाले भारतीय समाज में चुनाव प्रक्रिया कई सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक–राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। निर्वाचन प्रणाली में अनेक विकृतियां एवं खामियां जुड़ी हुई है। धनबल एवं बाहुबल इनमें सबसे विकराल समस्याएँ है। आज चुनाव काले धन एवं बाहुबलियों की गिरफ्त मे आ गए हैं। सिर्फ मतदाताओं को ही नहीं, प्रत्याशियों तक को धनबल एवं

बाहुबल का शिकार बनाया जा रहा है। अक्सर इसके प्रभाव में लेकर निर्दलीय या कमजोर प्रत्याशियों को नाम वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है और वे चुनाव मैदान से खुद को हटा लेते हैं। प्रभाव का उपयोग आजकल 'डमी' प्रत्याशियों को मैदान में उतारने तथा जाति–भाषा–क्षेत्र–वर्ग कारकों को वोट बैंक में तब्दील करने में किया जाने लगा है।

भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 68 वर्ष बीत चुके हैं, लोग अब भी यह समझते हैं कि वे खुद सेवक और नेता, मंत्री तथा नौकरशाह उनके मालिक हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ऊपरी तबके के लोग भी ऐसा ही सोचते है। इसलिए इस देश में जनतंत्र के बजाए एक सांमती शासन का एहसास होता है। आम लोगों की नजरों में कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय इसके कि सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे बदल गए हैं। जब तक लोगों की यह सोच नही बदलती है, इस देश में जनतंत्र अपनी जड़ें नहीं जमा सकता है। जनतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना ही नहीं है। सही और सार्थक जनतंत्र में राज्य चलाने के दिन–प्रतिदिन कें मामलों में आम जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

आज जनतंत्र को मजाक बना दिया है। चुने हुए संस्थाओं में ऊपर से नीचे तक धन और बाहुबल हावी है। निहित स्वार्थ की दलाल लाबियाँ ऐसे तत्वों के साथ खुलकर सौदेबाजी करती हैं और अपने मन मुताबिक कानून, नीतियाँ और योजनाएँ बनवा लेती हैं। इस प्रकार व्यवहार में देश का शासन उन्हीं के लिए और उन्हीं का बन जाता है। जनता के सभी तबकों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनतांत्रिक शासन की उम्मीद करना भी निरर्थक है। अगर जनतन्त्र को भीड़तंत्र में परिवर्तित नहीं होना है, तो लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचने की शिक्षा देनी पड़ेगी।

आज एक सच्चे जनतंत्र की सख्त जरूरत है। कोई भी व्यवस्था चाहे उसे कितने ही अच्छे इरादे से स्थापित किया गया हो, कभी भी त्रुटि रहित नहीं हो सकती । आखिर उन्हें चलाने वाले इंसान ही होते हैं, जो खुद बुनियादी तौर पर त्रुटिपूर्ण हैं। हम सिर्फ एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कम से कम अन्याय और पक्षपात की संभावना हो। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य इंसान का निर्माण शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा किया जाना है। जब तक जनता इस बारे में जागरूक होकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक चुनाव सुधार होना असंभव है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार का अध्ययन किया गया हैं जिसके निम्न उद्देश्य है :–

1. चुनाव सुधार के उन क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, जिन क्षेत्रों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है।
2. भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार पर जनता को जागरूक करना।
3. मतदाताओं के व्यवहार को सुधारने के लिए चुनाव की कमियों को दूर करने के प्रयासों का अध्ययन करना।
4. अब तक चुनाव सुधार हेतु किये गये सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों के परिणामों की समीक्षा करना।
5. भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
6. निर्वाचन सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों एवं आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन करना।
7. चुनाव सुधार में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन करना।
8. चुनाव सुधारों के लिए समय–समय पर न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों का अध्ययन करना।
9. चुनाव प्रणाली में विद्यमान कमियों का अध्ययन करके, उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र 'भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार' में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता लाने के लिए यथासंभव प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोंतों का उपयोग किया गया है। एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है जिसके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लोगों यथा राजनेताओं, जागरूक मतदाताओं, अधिकारियों एवं शिक्षकों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आज भी चुनाव प्रक्रिया में क्या–क्या कमियां है तथा इन कमियों को दूर करने के क्या–क्या प्रयास हो सकते है। एकत्रित आंकड़ों का अवलोकन एवं विश्लेषण करके वांछित निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन

भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार के सन्दर्भ में किये गये इस अध्ययन के उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन किया गया है यथा –

सुभाष कश्यप ने अपनी रचना ''दल–बदल और राज्यों की राजनीति'' (1970) में लिखा है कि भारतीय राजनीति में दल–बदल की प्रवृति ने लोकतंत्र को काफी आघात पहुँचाया है। दल–बदल मतदाताओं के साथ किया गया धोखा होता है चुनाव सुधारों के माध्यम से सबसे पहले इसमें सुधार की आवश्यकता है।

आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी ने अपनी रचना ''भारत में चुनाव सुधार : दशा और दिशा'' (1999) में भारत में चुनाव प्रणाली की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसकी विभिन्न प्रकार की कमियों का उल्लेख किया है। साथ ही इन कमियों को दूर करने हेतु किये गये प्रयासों का भी वर्णन किया हैं

महेश्वर सिंह ने अपनी पुस्तक ''भारतीय लोकतंत्रः समस्याएँ व समाधान'' (2000) में भारतीय लोकतंत्र में विद्यामान बाहुबल, धनबल, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए इन समस्याओं के समाधान के उपाय भी सुझाये हैं।

मनोज अग्रवाल द्वारा रचित ग्रन्थ ''चुनाव सुधार–सुशासन की ओर एक कदम'' (2015) में भारत में सुशासन की दिशा में चुनाव सुधार को एक कदम बताया गया है। इसके अलावा भारत में चुनाव सुधारों की महत्ती आवश्यकता पर बल देते हुए, इस दिशा में अब तक किये गये प्रयासों की सराहना भी की गई है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। समय तथा अन्य परिरिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहां समीक्षा की गई है।

भारत में चुनाव आयोग :– संरचना एवं कार्य

निर्वाचन तन्त्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभा में हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था– ''अगर निर्वाचन तन्त्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर–ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जायेगा।'' भारतीय संविधान के अध्याय 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई हैं निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने कि राष्ट्रपति समय–समय पर मनोनीत करें। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पदावधियां ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों को अलग–अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई मत से प्रस्ताव पारित करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। नियुक्ति के पश्चात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

सन् 1951 में पहली बार संविधान के अन्तर्गत 'एक–सदस्यीय निर्वाचन आयोग' का गठन किया गया। 1952 में आम चुनावों के संचालन हेतु दो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की गई। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था को लाभदायक नहीं समझा गया और द्वितीय आम चुनाव के समय इसे निरस्त कर दिया गया। सन् 1956 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों के स्थान पर उपनिर्वाचन आयुक्त के पद सृजित किये गये। यह संविधिक पद नहीं है।, इसका उल्लेख जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया है। 1957, 1962 तथा 1967 के निर्वाचनों का संचालन करने हेतु दो उप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1969 के मध्यावधि चुनावों के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सहायता देने के लिए केवल एक ही उप निर्वाचन आयुक्त था। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सहायता देने के लिए उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, अपर सचिव, शोध अधिकारी, आदि पद उपलब्ध कराये गये है।

सन् 1966 में निर्वाचन सम्बन्धी विधि में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त में सन्निहित अधिकारों का प्रयोग उप–निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग के सचिव भी कर सकते है। इस प्रकार निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों का हस्तांतरण हो सकता है, किन्तु आज भी संविधान के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी समस्त शक्तियां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में ही समाविष्ट हैं।

16 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति आर.वेंकटरमण ने निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। अवकाश प्राप्त आई.ए.एस. तथा आईपीएस अधिकारी एस.एस. धनोवा और वी.एस. सैगल थे। धनोवा और सैगल की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है।

2 जनवरी, 1990 को राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्तों के रूप में धनोवा तथा सैगल की नियुक्तियां रद्द कर दीं, जिसके साथ ही बहु–सदस्यीय आयोग फिर एक–सदस्यीय हो गया। दोनों चुनाव आयुक्तों की संसदीय चुनाव की पूर्व संध्या पर नियुक्ति की राष्ट्रीय मोर्चे के घटक तथा अन्य विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि जिन परिस्थितियों में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, सरकार उनकी समीक्षा करेगी।

बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग

यद्यपि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के पूर्व अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार फिर केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 1993 को एक अधिसूचना जारी करके निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। इसके अनुसार आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे तथा एम.एस.गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के बराबर 2.50 लाख रू प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। अध्यादेश में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच कार्य विभाजन को भी पारिभाषित किया गया। केवल पद नाम को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य दो चुनाव आयुक्तों के मध्य कोई अन्तर नहीं रह गया हैं, निर्णय अब एकमत से लिए जाते हैं। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों में किसी मामले पर मतभेद होता है तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले खत्म हो) के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक–प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन.शेषन ने दो नये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर अधिकार देने से सम्बन्धित राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने हुए 27 अक्टूबर,

1993 को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 14 जुलाई 1995 को दिये गये अपने एक निर्णय में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य दो चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने सम्बन्धी राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं को वैध घोषित कर दिया।

चुनाव आयोग के कार्य–

चुनावों से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग प्रमुख रूप से निम्न कार्य करता है :–

1. चुनाव आयोग चुनाव तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चुनाव आयोग का यह विशेषाधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बाधित नहीं होता है।
2. प्रत्येक दस वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करता है।
3. चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है। ताकि कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाये।
4. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है तथा उन्हें मान्यता देने के साथ–साथ चुनाव चिह्न भी प्रदान करता है।
5. चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है।
6. चुनावों में उम्मीदावारों द्वारा किये जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करने का कार्य भी चुनाव आयोग का ही है।
7. मतदाताओं को समय–समय पर अभियान चलाकर चुनाव आयोग राजनीतिक प्रशिक्षण देता है।
8. चुनाव याचिकाओं आदि के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता हैं।

भारत में चुनाव सुधार

भारत में चुनावी व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर व्यापक प्रयास किये गये है। यहां चुनाव सुधार हेतु प्रमुख समितियों का वर्णन किया गया है। यथा –

तारकुण्डे समिति (1974–75)

1974 में चुनाव सुधार पर विचार एवं अध्ययन हेतु 'सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से जयप्रकाश नारायण ने एक पूर्व जज वी0एम0 तारकुण्डे की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट में चुनाव सुधार हेतु निम्न सिफारिशें की :–

1. लोकसभा अथवा विधानसभा के विघटन से लेकर नई सरकार के निर्माण तक 'काम चलाऊ सरकार' को नई नीति, कार्यक्रम, नए ऋण या भत्तों को घोषित करने से रोका जाए।
2. चुनाव के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च न करें।
3. राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाएँ तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय तीन सदस्य हों। निर्वाचन आयोग की निष्ठा और न्यायप्रियता को असंदिग्ध बनाए रखने हेतु आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति के परामर्श से करें, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायधीश हों।
4. चुनाव में बढ़ती धन की भूमिका को नियंत्रित करने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा किये गये व्यय को उम्मीदवार के व्यय में शामिल किया जाये, जिससे नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो।
5. निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि इनसे लगभग 20 प्रतिशत मतों की बर्बादी होती है।
6. मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाये।
7. मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य किया जाये, जो मतदान का प्रयोग न करें उन्हें दण्डित किया जाये।
8. कम्पनियों द्वारा विज्ञापन के रूप में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली सहायता पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।
9. आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।
10. चुनाव सम्बन्धी मुकदमों का फैसला छः माह के भीतर होना चाहिए।
11. प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार द्वारा कुछ चुनाव प्रसार सामग्री निःशुल्क दी जाए।
12. जमानत की राशि लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 से बढ़ाकर 2,000 रूपये और विधानसभा के सदस्यों के लिए 200 से बढ़ाकर 1,000 रूपये कर दी जाए।
13. निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यों में 'निर्वाचन परिषदे' बनायी जाएँ, जो उसे सलाह दें। इन परिषदों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। इसके अलावा 'मतदाता परिषदे' भी बनायी जाएँ, जो निर्वाचन के समय विशेष निगरानी रखें।
14. मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुलाने की व्यवस्था हो ।
15. देश के सभी प्रकार की चुनावों में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' का प्रयोग किया जाए।
16. आकाशवाणी को निगम का रूप दिया जाए। जिस तरह ब्रिटेन में बी.बी.सी. पर राजनीतिक दलों को पिछले चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रचार का समय दिया था।
17. भय, आंतक के जरिए, अनुचित दबाव की राजनीति को नियंत्रित किया जाए।
18. प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में संगठन के नीचे की इकाइयों, जन समितियों, जिलों और पंचायत समितियों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

19. राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय के लिए लेखा परिषद् की व्यवस्था होनी चाहिए।
20. संसदीय एवं राज्य विधानमण्डलों के चुनाव के लिए निर्धारित व्यय की राशि को दोगुना करे।
21. उप चुनाव के लिए न्यूनतम अवधि निश्चित होनी चाहिए।

समिति ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राज्य चुनाव आयोगों का गठन, चुनाव खर्च सरकारी कोष से करने, मतदान एवं चुनाव विवादों के निपटारे सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण सुझाव दिये लेकिन जनता सरकार के असामयिक पतन के कारण इन सुझावों पर भी कोई अमल नहीं हुआ।

श्यामलाल शकधर के सुझाव (1981)

देश के तात्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने 9 जुलाई, 1981 को चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन हेतु दो प्रमुख सुझाव दिये, जो इस प्रकार हैं–

1. मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र दिए जाएँ।
2. चुनावों का सम्पूर्ण व्यय राज्य वहन करें।

चुनाव आयोग के सुझाव (1985)

भारतीय चुनाव व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करने तथा चुनाव व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिए अप्रैल, 1985 में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार से सम्बन्धित प्रमुख सिफारिशें की है। वे इस प्रकार हैं –

1. चुनाव खर्च में कमी लाने एवं चुनाव प्रक्रिया को ओर अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' का प्रयोग किया जाए।
2. प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त करने के लिए न्यूनतम मत संख्या 20 प्रतिशत रखी जाए।
3. राजनीति दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को धार्मिक चुनाव चिह्न आवंटित न किया जाये तथा चुनाव प्रचार में किसी प्रकार के धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।
4. एक प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।
5. किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किये जाने के बाद न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए।
6. चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए उनकों प्रदत्त सुविधाओं में कटौती की जाए।
7. लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए जमानत राशि 10 गुना बढ़ाकर 5000 रूपये कर दी जाए और विधानसभा के चुनावों में यह राशि 10 गुना बढ़ाकर 2500 रूपये कर दी जाए।

टी.एन.शेशन के प्रयास (1990)

देश के सबसे प्रसिद्ध एवं विवादित मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने चुनाव सुधार की दिशा में सराहनीय प्रयास किये, जिनमें से प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं –

1. फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने के आदेश दिये गये।
2. चुनावों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया गया।
3. चुनावों में खर्च किये जाने वाले धन की सीमा निर्धारित की गई।

दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें (1990)

भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त दोषों को दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा विधिमंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वी.पी.सिंह के प्रधानमंत्रीत्व काल में एक सरकारी समिति बनाई, 1 मई, 1990 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति की प्रमुख सिफारिशें अथवा सुझाव इस प्रकार हैं –

1. किसी भी रिक्त स्थान पर उप चुनावों को 6 महीने के अंदर कराने और चुनाव खर्च को कम करने के उद्देश्य से चुनाव प्रचार की अवधि को 14 दिन करने की कानूनी व्यवस्था हो।
2. आरक्षित सीटों के लिए 'चक्रानुक्रम' की पढ़ाई को अपनाया जाए।
3. सभी मतदाताओं को 'फोटोयुक्त पहचान पत्र' दिये जाए।
4. मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने एवं हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाएँ तथा ऐसी स्थिति में पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाए।
5. 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' का प्रयोग किया जाए।
6. चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए।
7. किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए।
8. चुनाव याचिकाओं पर अतिशीघ्र निर्णय किया जाए।
9. लोकसभा एवं विधानसभा के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा राज्यसभा एवं विधान परिषद् के उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
10. दल–बदल से उत्पन्न प्रश्नों के निर्णयों का अन्तिम अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं बल्कि इसका निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति को करना चाहिए।
11. चुनाव व्यय पर फर्जी विवरण देने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।
12. उम्मीदवार के चुनाव व्यय की कुल राशि के सम्बन्ध में 1974 से पूर्व की स्थिति लागू होनी चाहिए।
13. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि क्रमशः 5000 रूपये तथा 2500 रूपये निश्चित करनी चाहिए, ताकि गैर संजीदा लोग चुनाव न लड़ सकें तथा जमानत राशि बचाने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 1/6 के स्थान पर 25 प्रतिशत मत प्राप्त करना जरूरी होना चाहिए।
14. सीटों की संख्या घटाए–बढ़ाए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए तथा बारी–बारी जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में फेरबदल हो।
15. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के सुझाव पर होना चाहिए।

16. चुनाव के दौरान धर्म का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए और धर्म का प्रयोग करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी रोक लगनी चाहिए।
17. चुनाव खर्च के लिए सरकार आंशिक योगदान दे।
18. घोषित अपराधियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए।
19. अनाधिकृत रूप से मत पत्र को अपने पास रखना दंडनीय अपराध करार दिया जाए।

बोहरा समिति (1995) के सुझाव

1990 ई. के बाद राजनीति में अपराधी तत्वों के प्रवेश की बात स्वीकार की जाने लगी थी। 1995 ई. में बोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों तथा अपराधी समूहों के बीच निरन्तर मजबूत होते सम्बन्धों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इन गिरोहों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अपराधियों तथा नेताओं के पारस्परिक गठजोड़ ने प्रशासन के सुचारू संचालन को कठिन बना दिया है, इससे जनता भयभीत है, क्योंकि उसके जानमाल की सुरक्षा का खतरा है। फलतः जनता में निराशा की भावना बढ़ रही है और वह स्वयं को तंत्र (राज्य) से कटा हुआ महसूस कर रही है। अतः राजनेताओं तथा अपराधियों का गठजोड़ तोड़ा जाना चाहिए।

चुनाव सुधार अधिनियम (1996)

भारतीय संसद द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष एवं प्रभावशाली बनाने के लिए चुनाव सुधार की दिशा में 31 जुलाई, 1996 को जनप्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित करके कुल 16 संशोधन किये गये थे। चुनाव सुधार से सम्बन्धित इस अधिनियम (1996) की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. संसदीय चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 10000 रूपये और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 250 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दी गई है। राज्य विधानसभा के चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 250 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवार को 125 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये कर दी गई है।
2. मतदान प्रक्रिया पूरी होने की निर्धारित अवधि 48 घण्टे के दौरान चुनाव क्षेत्र में शराब या इसी प्रकार के मादक पदार्थ लाने पर प्रतिबन्ध होगा।
3. संसद अथवा राज्य विधानसभा के किसी भी सदन में स्थान रिक्त होने पर अब 6 महिने के अन्दर उपचुनाव कराना आवश्यक है।
4. अधिनियम द्वारा मतदान केन्द्र पर कब्जा करने वाले साधारण नागरिकों को कम से कम एक वर्ष की सजा जो जुर्माने के साथ 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। सरकारी कर्मचारी के लिए 3 वर्ष और अधिकतम जुर्माने के साथ 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. सभी मतदाताओं को मतदान के दिन मत देने के लिए सवेतन छुट्टी पाने का अधिकार होगा।
6. राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करने के अपराधी या राष्ट्रगान के गायन में बाधा पहुँचाने के अपराधी पाये जाने वाले व्यक्ति को जिस दिन से अपराधी घोषित किया गया है उस तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए संसद और राज्य विधान–सभाओं का चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जायेगा।
7. कोई भी उम्मीदवार अब आम चुनाव या उसके साथ–साथ होने वाले किसी उपचुनाव में दो से अधिक संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार का प्रतिबन्ध राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद् के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों पर भी लागू है।
8. मतदान केन्द्र के आस–पास किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाना एक अपराध होगा।
9. इस संशोधित कानून द्वारा मतपत्रों पर मुद्रित नामांकन का क्रम अब इस प्रकार होगा–पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, फिर पंजीकृत राजनीतिक दलों के और अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्ण क्रमानुसार छपे होंगे।
10. चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अब चुनाव रद्द नहीं होगा लेकिन यदि मृत उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का होगा तो सम्बन्धित दल को यह छूट दी जायेगी कि वह इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद 1 सप्ताह के भीतर अपने किसी दूसरे उम्मीदवार को नामजद कर सकता है।
11. उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने तथा ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग अवैध होगा।
12. मतदाता सूचियों की तैयारियों के दौरान ड्यूटी का पालन न करने की स्थिति में कर्मचारियों पर 500 जुर्माना या कम से कम 3 माह की कैद का प्रावधान किया गया है।
13. चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटकर 14 दिन तक हो सकती है।
14. निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।
15. चुनाव के दौरान चुनावी सभा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोगों को 6 माह की सजा हो सकेगी या 2000 रूपये जुर्माना देना होगा अथवा दोनों एक साथ भी हो सकते है।
16. चुनाव आयोग चुनावों के संचालन पर निरीक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए पर्यवेक्षक नामजद कर सकेगा और इन पर्यवेक्षकों को मतदान केन्द्रों पर कब्जे या ऐसी अन्य आपात स्थितियों में मतगणना रोकने या परिणामों की घोषणा नहीं करने के निर्देश देने का अधिकार होगा।

इस प्रकार इस जनप्रतिनिधि संषोधित अधिनियम (1996) द्वारा पहले से विद्यामान चुनावी प्रावधानों को और अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाये गये।

यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की दिशा में एक सराहनीय कदम था।

इन्द्रजीत गुप्त समिति (1997–99) के सुझाव

चुनावी व्यय को सीमित रखने तथा युक्ति युक्त बनाने, ताकि धनबल के प्रयोग के आधार पर अपेक्षाकृत कम साधन सम्पन्न प्रत्याशी चुनाव में खड़े होने से वंचित न रह जाये, के प्रयोजन से सरकार ने पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ सांसद इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसने अपना प्रतिवेदन 14 जनवरी, 1999 में केन्द्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सौंपा। गृह मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग, इन्द्रजीत गुप्त समिति तथा विधि आयोग के सुझावों पर विचार करने के बाद विधि आयोग द्वारा पुनः अपनी रिपोर्ट जून, 1999 में प्रस्तुत करने की बात की गई जिसमें निम्न बातें शामिल थी :–

1. दल–बदल पर पूर्ण रोक लगाने, जमानत राशि बढ़ाने दण्ड संहिता व चुनाव कानून में विहित अपराधों के लिए सजा की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव है।
2. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव के लिए सरकारी सहायता दी जाए।
3. चुनावी खर्च के लिए एक अलग कोष बनाया जाए। इसमें सरकार हर साल 10 रूपये प्रति मतदाता के हिसाब से 60 करोड़ मतदाताओं के लिए 600 करोड़ रूपये का योगदान कर सकती है। विभिन्न राज्य सरकारें भी इसी अनुपात में इस कोष में अपना योगदान कर सकती है।
4. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किये गये वैध चुनाव खर्चों का बोझ धीरे–धीरे राज्य द्वारा अपने ऊपर ले लिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के कुछ देशों में राज्य चुनाव खर्च का भार वहन किये जाने की व्यवस्था है।

9. विधि अयोग से सुझाव (बी.पी.जीवन रेड्डी, (1998–1999)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्थायी विधि आयोग ने वर्ष 1998 में सरकार को चुनाव सुधारों पर अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जिनमें प्रमुख रूप से दल–बदल कानून को निरस्त कर इस अलोकतांत्रिक पद्धति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना, चुनाव अपराधों पर दण्ड की मात्रा बढ़ाना, प्रत्याशियों द्वारा दी जाने वाली जमानत की राशि में बढ़ोत्तरी व मित्र परिजनों द्वारा किये गये खर्चे को शामिल करना, राजनैतिक दलों के व्यय के आँकड़े प्रति वर्ष चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना, भारतीय दण्ड संहिता के साथ–साथ अन्य अनेक कानूनों के अन्तर्गत सजायाफ्ता व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकना और एक व्यक्ति को एक ही चुनाव क्षेत्र से लड़ने का अधिकार देना आदि सम्मिलित हैं।

इसके अलावा प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं –

1. निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध ।
2. चुनाव में कुल पड़े मतों का 5 प्रतिशत से कम मत पाने वाले दल को सदन में एक भी सीट नहीं दी जाये।
3. चुनाव में कुल पड़े मतों का 50 प्रतिशत से अधिक मत पाने वालों को ही विजयी घोषित किया जाये, चाहे इसके लिए दुबारा मतदान भी क्यों न कराने पड़े।

के संथानम समिति के प्रमुख सुझाव

भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए गठित के0 संथानम समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं –

1. निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित योग्यताएँ निर्धारित होनी चाहिए।
2. राजनीतिक दलों के निबंधन, उनकी सांवैधानिकता तथा आय और व्यय के लेखा–जोखा से सम्बन्धित विधि का निर्माण किया जाना चाहिए।
3. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन समय के साथ हो।
4. निर्वाचक मण्डल के अन्तर्गत आने वाले नागरिकों की नामावली नवीनता के साथ बनायी जानी चाहिए।
5. निर्वाचन से सम्बद्ध विभिन्न अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अंतर्गत लाया जाए।
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विरोधी दल के एक प्रतिनिधि तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करने के उपरांत नियुक्त करना चाहिए।
7. राज्यों तथा जिलों में अपने नियंत्रण में पूर्णकालीन अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए।
8. वयस्क मताधिकार को सीमित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए।
9. राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से किए जाने चाहिए जिनमें नगरपालिका से सम्बद्ध तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हों। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष निश्चित की जानी चाहिए।
10. राजनीतिक दलों के कार्य संचालन को वर्तमान दोषों और अफसरशाही से मुक्त किया जाना चाहिए।

उपरोक्त समितियों के अलावा भी एम.वैकंटचलैया आयोग (2000–2002), विधि आयोग आदि अन्य कई आयोग एवं समितियों ने भी समय–समय पर चुनाव सुधार सम्बंधी अपनी प्रमुख सिफारिशें दी है जिनमें से अधिकांश सिफारिशें लागू हो चुकी है। फिर भी आज तक चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाये है। चुनावों में धनबल, बाहुबल, जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद जैसे तत्वों को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ–साथ मतदाताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी सफल लोकतंत्र का सपना साकार हो पाएगा।

सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण से यह निश्चित ही सिद्ध होता है कि भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार का विषय विकास के मार्ग पर अग्रसर तो हो चला है परन्तु सुदृढ़ एवं स्वच्छ लोकतंत्र हेतु स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था का स्वप्न पूर्ण होना अभी बाकी है। अतः इस दिशा में वांछित सफलता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है :–

1. चुनाव आयोग को ओर अधिक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

2. भारत में चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह होनी चाहिए।
3. राजनीतिक दलों को अपने आय–व्यय का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए।
4. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए।
5. चुनावों में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, धनबल, बाहुबल, भाई–भतीजावाद जैसी बीमारियों पर अंकुश लगना चाहिए।
6. सभी मतदान बूथों की विडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि मतदान क्रेन्द्रों पर होने वाले कब्जों को रोका जा सकें।
7. मतदाताओं को जागरूक करने वाले व्यापक अभियान चलाये जाने चाहिए।
8. चुनावों में मीडिया द्वारा राजनीतिक दलों के पक्ष में 'पेड–न्यूज' प्रसारित करने पर रोक लगनी चाहिए।
9. निर्वाचन क्षेत्रों के आकार भी छोटे होने चाहिए, ताकि जनता एवं उसके प्रतिनिधि के बीच सीधा सम्पर्क बना रहें।
10. राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा औधोगिक घरानों के गठजोड़ को तोड़ना चाहिए।
11. रंगीन एवं साफ फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य बना दिये जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में निर्वाचन आयोग 16 आम चुनाव सम्पन्न करवा चुका है। अनेक बार मतदान द्वारा सहज सत्ता परिवर्तन भारतीय राजनीतिक दलों की निर्वाचन में आस्था का द्योतक हैं। सत्ता पक्ष में सदैव मतदाता के निर्णय को सहज स्वीकार कर भारतीय निर्वाचन की साख को बढाया है।

भारत में चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से होतें रहे हैं। यह स्थिति संतोषजनक है किन्तु चुनाव पद्धति और चुनावों में कुछ ऐसी प्रवृतियाँ भी दिखाई देने लगी हैं, जों निर्वाचन की निष्पक्षता व स्वतंत्रता पर प्रश्न–चिह्न लगाती है। चुनावी अनियमितिताओं को रोक पाने में आयोग की असमर्थता, चुनावों में बाहुबल, हिंसा, मतदान स्थलों पर कब्जा व फर्जी मतदान करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपने आपको असहाय महसूस करता है। चुनावों में बढ़ते काले धन का प्रभाव तथा अत्यधिक व्यय, चुनावी उत्तेजना का बढ़ता स्वरूप चुनाव के दौरान आपराधिक प्रवृति की बढ़ती भूमिका, राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन निर्दलियों की बढ़ती संख्या आदि निर्वाचन आयोग के सम्मुख प्रमुंख चुनौतियाँ है।

चुनावों में व्याप्त बुराइयाँ राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, और सामाजिक क्षेत्र की समस्त व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। उदाहरण–काले धन पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों के समस्त कार्यकरण में सुधार और हमारी समस्त व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के बिना चुनावों में धन की बढती हुई भूमिका को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो सकता । इसी प्रकार चुनावी हिंसा और बाहुबल की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कानून और व्यवस्था की समस्त स्थिति में सुधार और प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से लगभग मुक्त करना होगा तथा आम जनता के जीवन–स्तर में सुधार, निरक्षरता की समाप्ति, शिक्षा के प्रसार में सुधार और इन सबके अतिरिक्त चुनाव सुधारों से ही पहल राजनीतिक संवैधानिक तंत्र के साथ–साथ नागरिकों के स्तर पर भी की जाएगी, तभी निष्पक्ष एंव स्वतंत्र चुनाव योग्य वातावरण का निर्माण संभव हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कश्यप, सुभाष्; दल–बदल और राज्यों की राजनीति, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1970

भल्ला, आर. पी ; इलेक्शन इन इण्डिया, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1973

गोस्वामी, भालचन्द्र; भारत में चुनाव सुधार : दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1999

पाण्डेय, अरूण; हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2000

सिहं, महेश्वर, भारतीय लोकतंत्र; समस्याएं एंव समाधान, साहित्यागार, जयपुर 2000

दुबे, एम पी.; धर्मनिरपेक्षवाद एवं भारतीय प्रजातंत्र, नेशनल पब्लिकेशंन हाउस, नई दिल्ली, 2004

सेंगर, शैलेन्द्र; भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, गुंजन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009

तिलक, रघुकुल; लोंकतंत्र स्वरूप एवं समस्या, उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, 2011

राय, अरूंधति, कठघरे में लोंकतंत्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012

त्रिपाठी, ममता मणि; चुनाव सुधार, प्रशासन की ओर एक कदम, प्रशांत प्रकाशन, दिल्ली, 2015

अग्रवाल, मनोज; चुनाव सुधार–सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015